न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः— 38/2016 तारीख रजू :—21.10.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

राजेश कुमार वर्मा पुत्र ताराचंद वर्मा (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स राधे—राधे दुध डेयरी आशा होटल के पीछे बजरिया पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः— दिनांक 29/10/21

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमारा चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 23.12.2015 को समय 4.00 पी.एम. पर मैसर्स राधे राधे दूध डेयरी आशा होटल के पीछे बजरिया पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहाँ पर राजेश कुमार वर्मा पुत्र ताराचंद वर्मा निवासी आशा होटल के पीछे बजरिया पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर उपस्थित मिला आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया,दुकान में खाद्य पदार्थ घी (खुला) 20 पोलीथीन की थेलियों में 01—01 किलोग्राम की पेकिंग कर स्टील की टंकी में विक्रय हेतु प्रदर्शित रखी हुयी थी जिसका मानक स्तर का नहीं होनें का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन.पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मौके पर पेश किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (खुला) 01 किलाग्राम की एक पॉलीथीन वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 300/— रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ घी (खुला) 01 किलाग्राम जो विक्रेता से खरीद की गयी को 4 कांच की शिशियों में भरकर ऐयरटाईट बन्द कर चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच– 818 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार कर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश सैन, वाहन चालक कार्यालय मु. चि. एव स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की तथा दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के डी.ओ.(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/675 दिनांक 02.03.2016 ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4428/एक्ट/2015/661 दिनांक 17.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (खुला) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। यह है कि विक्रेता द्वारा नमूने कि पुनः जॉच हेतु फार्म न0 6 ए कि प्रति के साथ रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे को भिजवाया गया। यह है कि अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक/एफएसएसए/2016/1952 दिनांक 21.07.2016 के साथ निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला पुणे के जांच सर्टिफिकेट नं0 सीएफल/डीओ–139/432/2016 दिनांक 11.07.2016 के अनुसार नमूना सबस्टैण्डर्ड प्रकृति का पाया गया। उक्त प्रकरण में उपर अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ घी (खुला) का विक्रय एवं निमार्ण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये जमानती वारंट तलब किया गया। अभियुक्त स्वंय उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ घी(खुला) का विक्रय व निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर